

फर्द अहकाम  
 न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मु० जयपुर  
 ७/११/२५ / ३६

दिनांक: 36/2025 (1-5)

विशेष दिनांक आज्ञा या कार्यवाही

आज्ञा विस्तृत रूप से

विशेष विवरण

10/2025 पर्याप्त उद्भूत विच्छेद उपस्थित।  
 प्रथी कविका बि एकपत्नीय कथ  
 सुनी गई। प्रथीय कप्रार्थीगण सख्यानोदा  
 है। कप्रार्थीगण बिना विच्छेद (पिमापन  
 के उक्त काराजी को सुई-बुई एवं बेपान  
 करने पर कामदा है। यदि प्रार्थीगण  
 कृमकले में लपल हो जाते हैं तो  
 प्रार्थीगण को अपूरणीय प्रति होने की  
 प्रमाण संभावना है। अतः कप्रार्थीगण  
 को परिले कसुई निषेधात्ता ले पंषड  
 विगा-न जावे।

उक्त पर्याप्त का कुलौकन  
 विगा, वाड बखौ ले सम्बन्धित है।  
 यदि कप्रार्थीगण बिना विच्छेद (कसुई)  
 के विच्छेद-मु-माग को सुई-बुई एवं  
 बेपान करते हैं तो प्रार्थी/काडी के  
 वाड का कौनिल्य समाप्त होने की  
 संभावना है। अतः वाड बाहुल्यता को  
 रोकने व उनके संरक्षण हेतु इस  
 न्यायालय के आदेश दिनांक 07/04/2025 को  
 मूलवाद के निस्तारण तक रुखाई किया  
 जाता है।

पर्याप्त के सम अनुप देकर  
 शिबिलेप नही

Bm  
 सहायक कलक्टर  
 आमेर मु. जयपुर

